राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1793/2011/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
विशेष वृत–चतुर्थ, जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एलाम्बिक लिमिटेड
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री सी.बी.अग्रवाल
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 23.04.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–चतुर्थ, जयपुर(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त(अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 252/आरवैट/अपील्स–चतुर्थ/एल/10–11 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2003–04 का कर निर्धारण आदेश पारित करते समय स्टॉक ट्रांसफर के समर्थन में रू. 40,00,522/– के एफ फार्म प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कम प्रस्तुत करने के कारण 12 प्रतिशत की दर से कर एवं अनुवर्ती ब्याज आरोपित कर मांग कायम की गई है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 08.06.2006 को रू. 19,47,964/–के एफ फार्म प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर रू. 2,33,755/–, सरचार्ज रू. 35,063/– व ब्याज रू. 80,645/– की राशि को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा)की धारा 37 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत आदेश पारित कर संशोधित कर मांग राशि में कमी कर दी गई।शेष राशि रू. 3,68,231/– दिनांक 31.3.2006 को राजकोष में जमा करा दी गई ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 26.06.2007 को संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र मय रू. 20,52,558/–के एफ फार्म कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथा अंकित किया कि विज्ञप्ति संख्या एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007/149 दिनांक 9.3.2007 संशोधित नियम 21 के तहत संशोधन कर जमा राशि का रिफण्ड दिया जावे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र को विज्ञप्ति संख्या एफ. 12(28)एफडी/टैक्स/2007/149 दिनांक 9.3.2007 से आच्छादित नहीं मानकर दिनांक 25.06.2007 को प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रार्थना पत्र को सारहीन मानते आदेश

दिनांक 05.9.2007 को पारित कर अस्वीकार कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 5.09.2007 से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को वांछित रिफण्ड नियमानुसार जारी करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2011 पारित किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2011 से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 05.09.2007 का समर्थन करते हुए अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत संशोधन योग्य नही होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकरी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि दिनांक 25.06.2007 को रू. 20,52,558/– के घोषणा पत्र एफ पेश कर दिये गये थे,जिनको बिना किसी कारण एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अधिसूचना संख्या एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007/149 दिनांक 9.3.2007 द्वारा राज्य सरकार ने दिनांक 31.03.2007 तक किये गये कर निर्धारणों से सम्बन्धित घोषणा पत्र पेश करने की तिथि 30.06.2007 तक निर्धारित की है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 25.06.2007 को रू. 20,52,558/– के घोषणा पत्र 'एफ' कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये थे,इसलिए उक्त अधिसूचना के तहत प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलार्थी को तद्नुसार कर व ब्याज में कमी की जानी चाहिए।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रेकार्ड एवं अधिसूचना संख्या एफ. 12(28)एफडी/टैक्स/2007/ 149 दिनांक 9.3.2007 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 25,06,2007 को रू. 20,52,558/– के घोषणा प्रपत्र 'एफ' कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये गये थे। अधिसूचना संख्या एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007/ 149 दिनांक 9.3.2007 द्वारा राज्य सरकार ने दिनांक 31.03.2007 तक किये गये कर निर्धारणों से सम्बन्धित घोषणा पत्र पेश करने की तिथि 30.06.2007 तक बढस दी है । विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत मिल रहे लाभ से वंचित किये जाने को अविधिक मानते हुए उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत 'एफ' फार्म स्वीकार कर, तद्नुसार

वांछित रिफण्ड जारी करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2011 पारित किया है,जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य